मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा टौंस नदी लॉट नं–3/6 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 27.08.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजावाला, विकासखण्ड सहसपुर का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा टौंस नदी लॉट नं–3/6 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में **राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजावाला, विकासखण्ड सहसपुर** में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम 'उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा टौंस नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक 25.07.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के

महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार. द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 10.523 है0 है। जो कि ग्राम प्रेमपुर माफी, कौलागढ़, विलासपुर कांडली और बाजावाला, तहसील देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री विवेक कुमार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से रू0 4.41 लाख के वार्षिक बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

अभिव्यक्ति

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी बाजावाला** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व में नदी में खनन बन्द होने से नुकसान हो रहा है, खनन न होने से खनिज सामग्री के दामों में बढ़ोत्तरी हुई है, साथ ही सरकार को भी राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि यदि खनन खुलता है तो खनन नियमानुसार होना चाहिए तथा अवैध खनन रोकने के समुचित उपाय होने चाहिए। उनके द्वारा पूछा गया कि यदि खनन सम्बन्धी कोई समस्या हो तो शिकायत कहां की जाए एवं उसका निस्तारण कौन करेगा?

2. **हातिम शाह नवाज, निवासी बाजावाला** द्वारा कहा गया कि नदियों में खनन खुलना चाहिए। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन से पूर्व नदियों के किनारे पुस्तों का निर्माण होना चाहिए एवं खनन सामग्री की आवाजाही के लिये अलग से रास्ते का निर्माण किया जाए, जिससे क्षेत्र में कोई दुर्घटना न हो।

3. **नवीन उनियाल, निवासी मसिन्दावाला** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन कार्य में हमारे गांव के युवकों को रोजगार मिलना चाहिए तथा ग्राम निवासियों को मकान आदि बनाने के लिये खनन सामग्री में छूट मिलनी चाहिए।

4. **श्रीमति मनोरमा नौटियाल (प्रधानाध्यापिका) प्राथमिक विद्यालय, बाजावाला** द्वारा कहा गया कि नदियों में खनन खुलने से गांव के गरीब परिवारों को रोजगार मिलेगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य में नाबालिग/छोटे बच्चों को न लगाया जाए, जिससे उनकी शिक्षा पर बुरा प्रभाव न पड़े।

5. **योगी थापा, निवासी बाजावाला** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन कार्य में ट्रक, ट्राली के आवाजाही से पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु समुचित उपाय किये जाने चाहिएं। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा ही किया जाना चाहिए।

6. **श्री गिरिश उनियाल, निवासी मसिन्दावाला** द्वारा कहा गया कि पुल के आसपास खनन कार्य न हो, जिससे पुल को कोई क्षति न हो। साथ ही उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नाबालिगों द्वारा ट्रक/ट्रॉली के परिचालन एवं मजदूरी पर प्रतिबन्ध लगाया जाये, जिससे कोई दुर्घटना न हो, सड़कों की मरम्मत, गरीब मजदूरों के लिये टिन शेड मकान, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

7. **श्री एस0एस0 बड़थ्वाल, निवासी बाजावाला** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन सामग्री हेतु स्थानीय ग्रामीणों को छूट प्रदान की जानी चाहिए एवं खनिज सामग्री में लगे वाहनों हेतु वैकल्पित मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन का कार्य अग्रतर बोली के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामाग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि पर किया जाना है। किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार स्थानीय निवासियों को खनिज पट्टे अन्तरित किये जाने की प्राथमिकता का प्राविधान है। खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)
अनु0 सहा0

(सुभाष पंवार)
अ0 अभियन्ता

(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
देहरादून

DATE 27-08-2014

टौंस नदी के लाट संख्या 3/6 में चुगान/खनन हेतु दिनांक 27/08/2014 (प्रातः 11:00) स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बाजावाला विकास खण्ड, सहसपुर जनपद देहरादून में हुई लोक सुनवाई में उपस्थित ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रिका।

क्र.सं०	नाम व पद	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
1)	श्री प्रताप सिंह शाह (ADmn F/R)	जिला प्रशासन, देहरादून	9756666655	[signature]
2)	श्री सुभाष पंवार (अवर अभियन्ता	प्रदू० नियं० बोर्ड० देहरादून	9410393545	[signature]
3.)	श्री सुनील डबराल (अनु० सहा०)	प्रदू० नियं० बोर्ड, देहरादून	9634837820	[signature]
)	विवेक कुमार (Asst. manager)	GRC India (P) Ltd Noida	8377078376	[signature]
5.	बच्चीसिंह	बाजावाला		बच्चीसिंह
6.	कमला देवी	बाजावाला		कमला
7.	कुन्ती देवी	बाजा		कुन्तीदेवी
8.	कुसुम देवी	बाजावाला		कुसुम देवी
9.	विमला देवी	बाजावाला		[signature]
10	जोगेश्वरी देवी			जोगेश्वरीदेवी

DATE 27 08 20

	नाम व पद	पता	संपर्क सूत्र	हस्ताक्षर
11.	राजेकुमारी	बाजावाला		राजकुमारी
12	मनोरमा नौटियाल	ग्राम बाजावाला मजुला		[signature]
13	किरन दत्ता ~~जमुना जोशी~~	बाजा वाला ~~बाजा वाला~~		Kiran ~~Jamuna~~
14	सावरी देवी	बाजा वाला		
15	जमुना जोशी	बाजा वाला		Jamuna.
16	रानी दत्ता	बाजा वाला		रानी दत्ता
17	मीना देवी	बाजा वाला		मीना देवी
18	कमलेश थापा	बाजावाला		कमलेश
19	राजकुमारी	बाजावाला		राजकुमारी
20	सरोजनी देवी	"		सरोजनी देवी
21	पूनम देवी	"		पूनम
22	इन्दु	बाजावाला		इन्दु
23	मीना कंडारी	बाजावाला		मीना कंडारी
24	नवीन उनियाल	मसन्दवाला		Naveen
25	गिरीश उनियाल	मसन्दवाला		गिरीश
26	पृथ्वीसिंह राणा	बाजावाला		पृथ्वीसिंह

DATE

	नाम व पद	पता	संपर्क सूत्र	हस्ताक्षर
	लक्ष्मण सिंह	बाजावाला		[signature]
28	पूरन सिंह	बाजावाला		[signature]
29	हातिम शाहनवाज	बाजावाला		[signature]
30	वीरेन्द्र सिंह	बाजावाला		वीरेन्द्र
31	[illegible]	=		[signature]
32	कौशल सिंह लिंगू	बाजावाला		DS [illegible]
33	प्रताप चन्द दत्ता	बाजावाला		[signature]
34	हरीश उनियाल	मसन्दावाला		[signature]
35	करनसिंह	मसन्दावाला		करन सिंह
36	डी एस नेगी	G.M.V.N. Ltd		[signature]
37	श्री रावे होती	बाजावाला		[signature]
38	श्री योगबहादुर थापा	बाजावाला		[signature]
39.	" A.S. Bartwal	Majawal.		[signature]
40	रियाज अली	प्रतीतपुर		[signature]
41	अधिकाल सिंह	रावत		[signature]
42	दिनेश सैनी	बाजावाला		दिनेश
43	जयदेव केवट	बाजावाला		जयदेव
44	B.S. Rawat	G.M.V.N. Ltd		[signature]
45.	NIKHIL SHARMA	GMVN Ltd	9897735856	[signature]